छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर
सेक्टर 21 मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग) 492002

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रों हेतु धान भूसा ई–निविदा दस्तावेज

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर
सेक्टर 21 मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग) 492002

धान भूसा हेतु ई–निविदा
खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 की विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
01	निविदाकार से संबंधित जानकारी	3
03	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें परिशिष्ट –1	4 से 6
04	निविदाकर्त्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी बीड हेतु परिशिष्ट –2	7
05	धान भूसा दर भाग (ख) वित्तीय बीड हेतु परिशिष्ट – 3	8
06	निविदाकर्त्ता से संविदा का प्रारूप परिशिष्ट– 4	9 से 11
07	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट–5	12 से 19

1) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।
2) निविदा प्रपत्र के संबंध में pre bid conference दिनांक 16.09.2020 को विपणन संघ मुख्यालय, सी.बी.डी. कॉम्पलेक्स, सेक्टर 21, नवा रायपुर, अटल नगर में समय दोपहर 12.00 बजें आयोजित की जावेंगी। निविदा प्रपत्र के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो लिखित में अवगत कराया जावें।

प्रबंध संचालक

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ)

1.	निविदाकर्ता का नाम व पता	श्री/सुश्री.....
2 .	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम	.....
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम	.....
	एवं पता तथा मो. नं.	.....
4.	जिला का नाम	.....
5.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 5000.00 (कर सहित) (अक्षरी पांच हजार रूपये मात्र)

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए ऑनलाईन ई–निविदा के माध्यम से सूखा धान भूसा हेतु निविदायें आंमत्रित की जाती है। ऑनलाईन ई–निविदा हेतु शेड्युल निम्नानुसार है :–

Bid start Date	29-08-2020	05.00 PM
Bid Due Date	29-09-2020	05.00 PM
Bid Open Date from	30-09-2020	11.00 AM

टिप्पणी

1. निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को बाद में अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. निविदा दस्तावेज दिनांक 29.09.2020 को शाम 05.00 बजें तक ऑनलाईन से जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रकिया का विधिवत् अध्ययन कर ले एवं अंतिम समय के इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई ना हो। अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नही हाने पर समयावृद्वि करने हेतु दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा फार्म की राषि रू 5000 (पांच हजार रूपये मात्र) किसी भी अनुसूचित बैंक से ''छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'' पेबल (Payable - संबंधित जिला) के पक्ष में डी.डी.(डिमांड़ डॉफ्ट) बनवाकर डी.डी की छायाप्रति ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा एवं रूपये 311/–(तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिषन फीस वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।
4. निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले ही निविदाकार का ई प्रोक्युरमेंट वेबासाईट http://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिष्चित हो।
5. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 19 तक है जिसे ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

परिषिष्ट–1

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार जिनके द्वारा छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के जिला कार्यालय खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में संग्रहण केन्द्रों के लिए डनेज के रूप में उपयोग करने के लिए सूखा धान भूसा आपूर्ति हेतु ई–निविदा प्रस्तुत की जा रही है। निम्नानुसार नियमों एवं शर्तो का भली–भांति अध्ययन कर लेवे। यह दिशा निर्देश तथा शर्ते निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगे :–

1. विपणन संघ द्वारा ऑनलाईन भूसा ई–निविदा जारी की गई है। जिसमें एक तकनीकी बीड (निविदा दस्तावेज के भाग ''क'') एवं दूसरा वित्तीय बीड (निविदा दस्तावेज के भाग ''ख'') अलग–अलग है, जिसमें उल्लेखित वांछित दस्तावेजों को ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

1.1. निविदाकर्ता निविदा के परिशिष्ट–2 अनुसार अनिवार्य दस्तावेज की नोटरी से प्रमाणित प्रति स्केन कर ऑनलाईन संलग्न करें, यह सभी दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न नहीं होने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार की जावेगी।

1.2. निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी बीड में परिशिष्ट–2 अनुसार संलग्न करें :–

I. निर्धारित अमानत राशि किसी भी अनुसूचित बैंक से ''छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'' पेबल (Payable - संबंधित जिला) के पक्ष में डी.डी. बनवाकर डी.डी की छायाप्रति ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

II. वस्तु एवं सेवा कर/विक्रय कर के वैध पंजीयन क्रमांक एवं वैधता तिथि ।

III. आयकर पेन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति तथा गत तीन वित्तीय वर्षो में से किन्हीं 2 वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की नोटरी द्वारा प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि।

IV. निविदा फार्म की राशि रू 5000 (पांच हजार रूपये मात्र) किसी भी अनुसूचित बैंक से ''छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'' पेबल (Payable - संबंधित जिला) के पक्ष में डी.डी. (डिमांड़ डॉफ्ट) बनवाकर डी.डी की छायाप्रति ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

1.3. निविदाकार स्वयं यह सत्यापित करेगा कि उसने निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार का इकरारनामा एवं अन्य समस्त दस्तावेज प्राप्त कर लिया है। आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है।

1.4. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बीड सही पाये जाने पर ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

1.5. सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् विपणन संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध एवं सत्यनिष्ठा संधि का निष्पादन संबंधित जिला कार्यालय में किया जाना अनिवार्य है।

2. निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देश :–

2.1 **दरे :–**निविदा वित्तीय बीड में दरें अंको में तथा शब्दों में सुवाच्य, स्पष्ट एवं साफ–साफ लिखा जाना चाहिए। निर्धारित प्रारूप की कंडिका निविदा कार्य से संबंधित न हो उस पर क्रास का चिन्ह लगाया जावें।

2.2 निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

–: निविदा की शर्तें :–

(खरीफ विपणन वर्ष 2020–21)

1. विपणन संघ द्वारा जारी ऑनलाईन निविदा में एक तकनीकी बीड ''क'' एवं दूसरा वित्तीय बीड **''ख''** है। जिसे ऑनलाईन भरा जा सकता है।
2. तकनीकी बीड में वांछित निविदा दस्तावेज सही पाये जाने पर ही वित्तीय बीड खोला जावेगा।
3. भूसा आपूर्ति की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक वैध रहेगा। आवश्यकता के आधार पर निविदा समय में वृद्वि का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा तथा सफल निविदाकार के लिए बंधनकारी होगा।
4. निविदाकर्ता को स्वीकृत दर के हिसाब से भूसा आपूर्ति के पश्चात् देयक प्रस्तुत करने पर अनुबंध की शर्तो के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।
5. निविदाकर्ता को जिला विपणन अधिकारी द्वारा संग्रहण केन्द्र में भूसा आपूर्ति हेतु दिये गये कार्यादेश के अनुरूप संबंधित संग्रहण केन्द्र में आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। समय पर मांग अनुरूप आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में होने वाली क्षति की वसूली निविदाकार से की जावेगी, उक्त आपूर्ति अन्य से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह निविदाकर्ता से वसूल की जावेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी।
6. निविदाकर्ता द्वारा भूसा आपूर्ति में लगने वाले समस्त टैक्स स्वयं वहन करना पड़ेगा। अतः दरे समस्त कर सहित भरी जावे।
7. धान भूसा सूखा होना अनिवार्य है। धान भूसा गीला एवं पुराना होने पर ट्रक/मेटाडोर वापस किया जा सकता है, जिस हेतु कोई व्यय विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।
8. धान भूसा की दर प्रति टन (लोडिंग अनलोडिंग सहित) गंतव्य तक पहुंचाकर भरा जावे।
9. धान भूसा के ट्रक/मेटाडोर को धर्मकांटा में तौल अनुसार प्राप्त वजन के आधार पर ही भुगतान किया जावेगा।
10. नियमानुसार निविदाकार के बिल से आयकर की कटौती की जावेगी।
11. निविदाकार को निविदा के साथ दंतेवाडा, कोण्डागांव ,सुकमा, कोरबा, जशपुर, गौरेला पेन्ड्रा मरवाही एवं कोरिया जिलों के प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु 25000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं शेष जिलों के प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु 100000/–रूपये (एक लाख रूपये मात्र) के मान से अमानत राशि किसी भी अनुसूचित बैंक से ''छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'' पेबल (Payable -संबंधित जिला) के पक्ष में डी.डी./बी.जी (डिमांड डॉफ्ट/बैंक गारंटी) बनवाकर डी.डी/बी.जी. की छायाप्रति ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी./बी.जी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा। अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। जिले के कार्यशील संग्रहण केंन्द्रों की सूची संबंधित जिला विपणन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
12. निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेतर समय के लिए निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।
13. जिले के संग्रहण केंन्द्रों हेतु धान भूसा की अनुमानित मात्रा की जानकारी संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।

14. विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकता होने पर ही आपूर्ति आदेश जारी किये जावेगें। किन्हीं परिस्थितिवश किसी संग्रहण केन्द्र में भंडारण नहीं होने की स्थिति में भूसा आपूर्ति आदेश देना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं होगा।

15. स्वीकृत निविदा वाले निविदाकार को धान भूसा आपूर्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के जिला विपणन अधिकारी से अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध निष्पादन के समय अमानत राशि के अलावा प्रत्येक देयक से 3 प्रतिशत राशि सुरक्षा निधी के रूप में कटौती की जावेंगी। यह राशि अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस की जा सकेगी एवं जमा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

16. प्रस्तुत दरें युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक हों, अव्यवहारिक दरों वाली निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

17. निविदाकार यदि किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा धान भूसा समय पर प्रदाय नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में जिलें के कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि उसकी जमा अमानत राशि एवं जमा सुरक्षानिधि राजसात करते हुए संबंधित प्रदायक को दो वर्षों हेतु काली सूची में दर्ज किया जावेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वीकृत दर पर किसी अन्य से कार्य कराने हेतु सक्षम होगे।

18. धान भूसा विपणन संघ के आदेशित संग्रहण केन्द्रों पर स्वीकृत निविदा दर पर प्रदायक को देना अनिवार्य होगा।

19. सफल निविदाकार को **100.00** रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में विपणन संघ से संलग्न प्रारूप में इकरारनामा निष्पादित करना होगा।

20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं उभयपक्षो पर बंधनकारी होगा।

21. सफल निविदाकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करे। नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विपणन संघ द्वारा विहित अंशराशि तथा प्रवेश शुल्क का भुगतान निविदाकार द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

22. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेंगा जिसका प्रकाषन समाचार पत्रों में एवं विपणन संघ की वेबसाईट में अपलोड किया जावेंगा ।

23. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2015 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2015 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है (परिशिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय–रायपुर (छ.ग.)

भाग – "क"

(तकनीकी बीड हेतु)

दिनांक.....

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ)

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,

.....छ.ग.

महोदय,

1.मेरे द्वारा/हमारे द्वारा सूखा धान भूसा की निविदा प्रस्तुत की जा रही है, मेरा/हमारा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1.	निविदाकर्ता का नाम व पूरा पता (पत्र व्यवहार हेतु)	
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम –	
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम –	
4.	वस्तु एवं सेवा कर/विक्रय कर के वैध पंजीयन क्रमांक एवं वैधता तिथि (संलग्न करें)	
5.	आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं गत तीन वित्तीय वर्षो में किन्हीं दो वित्तीय वर्षो का आयकर रिर्टन विवरण की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति	
6.	अमानत राशि	Demand Draft / Bank.Guarantee ---------- ---------- दिनांक ..... बैक का नाम.....
7.	निविदा फार्म के मूल्य का विवरण	Demand Draft ---------- ---------- दिनांक ..... बैक का नाम .....

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम.....

फर्म.....

भाग – "ख"
(वित्तीय बीड हेतु)

दिनांक.....

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ)

द्वारा :–
मेसर्स.....
.....

दूरभाष :–कार्यालय.....
निवास.....

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी
छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
जिला.....(छ.ग.)

महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, द्वारा जिलेंवार धान भूसा प्रदाय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने जिला कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म क्रय किया है, हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।
2. इस बात की पुष्टि की जाती है कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

जिले का नाम	दर (रूपये मे) प्रति मेट्रिक टन संग्रहण केन्द्रों तक पहुंचाकर	
	अंको में	शब्दों में

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

–: संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप :–

(100/–रूपये के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक..... दिन ..... को यह अनुबंध पत्र छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला विपणन अधिकारी..... जिला .....(छ0ग0) जिसे आगे चलकर ''विपणन संघ'' कहा जावेगा। ''पक्ष क्रमांक–1 तथा मेसर्स..... पक्ष क्रमांक–2'' के मध्य किया जा रहा है।

1. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में धान भंडारण हेतु डनेज के लिए सूखा धान भूसा की दर प्रति टन गन्तव्य तक पहुॅचाकर रूपये..... शब्दों में .....स्वीकृत किया गया है।
2. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा अनुबंधित अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक स्वीकृत दर पर भूसा आपूर्ति करने हेतु वचनबद्ध है। आवश्यकता के आधार पर निविदा समय में वृद्वि का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा तथा सफल निविदाकार के लिए बंधनकारी होगा।
3. निविदाकर्ता को स्वीकृत दर के हिसाब से भूसा आपूर्ति के पश्चात् देयक प्रस्तुत करने पर अनुबंध की शर्तो के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।
4. यह कि पक्ष क्रमांक–02 को पक्ष क्रमांक–01 की ओर से जिला विपणन अधिकारी द्वारा संग्रहण केन्द्र में भूसा आपूर्ति हेतु दिये गये कार्यादेश के अनुरूप संबंधित संग्रहण केन्द्र में आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। समय पर आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में होने वाली क्षति की वसूली पक्ष क्रमांक–02 से की जावेगी, उक्त आपूर्ति अन्य से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह पक्ष क्रमांक–02 से वसूल की जावेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी। उसे भविष्य के लिए दो वर्षों के लिए काली सूची में डाला जा सकेगा।
5. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा भूसा आपूर्ति में लगने वाले समस्त टैक्स स्वयं वहन करना पड़ेगा।
6. यह कि पक्ष क्रमांक–02 को सूखा धान भूसा आपूर्ति करना होगा। धान भूसा गीला एवं पुराना होने पर पक्ष क्रमांक–01 द्वारा अस्वीकार किया जावेगा।
7. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा धान भूसा के ट्रक/मेटाडोर को धर्मकांटा में तौल अनुसार प्राप्त वजन के आधार पर देयक प्रस्तुत किया जावेगा।
8. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा नियमानुसार पक्ष क्रमांक–02 के बिल से आयकर की कटौती की जावेगी।
9. **यह कि, पक्ष क्र. 2** निविदाकार को निविदा के साथ दंतेवाडा, कोण्डागांव, सुकमा, कोरबा, जशपुर, गौरेला पेन्ड्रा मरवाही एवं कोरिया जिलों के प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु 25000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं शेष जिलों के प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु 100000/–रूपये (एक लाख रूपये मात्र) के मान से अमानत राशि DD/BG के माध्यम से जिला कार्यालय के नाम पर जमा करना है।
10. यह कि निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेतर समय के लिए निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।
11. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा संग्रहण केन्द्रवार आवश्यक मात्रा की जानकारी पक्ष क्रमांक–02 को समय–समय पर उपलब्ध कराया जावेगा।

12. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकता होने पर ही आपूर्ति आदेश जारी किये जावेगें। किन्हीं परिस्थितिवश किसी संग्रहण केन्द्र में भंडारण नहीं होने की स्थिति में भूसा आपूर्ति आदेश देना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं है।

13. यह कि पक्ष क्रमांक–02 को निविदा की सभी शर्तें मान्य होंगी। यदि पक्ष क्रमांक–02 किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा धान भूसा समय पर प्रदाय नहीं करता है तो उसकी जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा होने वाली क्षति की वसूली जमा सुरक्षानिधि से की जावेगी।

14. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा धान भूसा की आपूर्ति विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में उक्त स्वीकृत दरों पर करनी होगी।

15. स्वीकृत निविदा वाले निविदाकार को धान भूसा आपूर्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के जिला विपणन अधिकारी से अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध निष्पादन के समय अमानत राशि के अलावा प्रत्येक देयक से 3 प्रतिशत राशि सुरक्षा निधी के रूप में कटौती की जावेंगी। यह राशि अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस की जा सकेगी एवं जमा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

16. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

17. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2015 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2015 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

18. इस अनुबंध को निष्पादित करते समय सुरक्षानिधि के रूप में जमा की गई राशि का विवरण..
.....
.....

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
पदनाम	पदनाम .....
(पक्ष कमांक–01)	(पक्ष कमांक–02)
सील	सील .....
साक्षी :	साक्षी :
.....	.....
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम व पता	नाम व पता .....
.....	.....

परिशिष्ट–5

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20, between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri _____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri _____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/ Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/ PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER/ SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER /CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of..

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the (BUYER/PRINCIPAL) on demand within
three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of_____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR from the BUYER/PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER /SELLER /CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONT RACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. The BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/PRINCIPAL/BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at..... on.....

BUYER/PRINCIPAL BIDDER/SELLER/CONTRACTOR
Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Destination
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness	**Witness**
1) _____	**1)** _____
2) _____	**2)** _____